# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : मूलचन्द लूणिया {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 05/2012

1. जसवीर कौर पत्नि जीत सिंह उर्फ जगजीत सिंह जाति महजवी सिख निवासी 13 एच ठड्डा तहसील श्री करणपुर।

--वादिया--

बनाम

1. विन्द्र पुत्री जीत सिंह उर्फ जगजीत सिंह पत्नि कृपाल सिंह जाति महजबी सिख गांव झुग्गिया जम्मुवाली ढाणी अबोहर तहसील अबोहर (पंजाब)
2. गगी पुत्री जीत सिंह उर्फ जगजीत सिंह पत्नि लखवीर सिंह जाति महजबी निवासी गांव झुग्गिया जम्मुवाली ढाणी अबोहर तहसील अबोहर (पंजाब)
3. तेजा सिंह पुत्र दलीप सिंह जाति महजवी सिख निवासी 13 एच ठड्डा तहसील श्री करणपुर (मृतक)
   - 3/1. छिन्द्र कौर पुत्री दलीप सिंह जाति महजवी सिख निवासी 13 एच ठड्डा तहसील श्री करणपुर।
   - 3/2. निक्की पुत्री दलीप सिंह जाति महजबी सिख निवासी 13 एच ठड्डा तहसील श्री करणपुर (मृतक)
4. मिठू सिंह पुत्र भुरा सिंह जाति नाई निवासी मलकाना खूर्द तहसील श्रीकरणपुर।
5. जगरूप सिंह पुत्र भुरा सिंह जाति नाई निवासी मलकाना खूर्द तहसील श्रीकरणपुर।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर।

--प्रतिवादीगण--

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,91 आरटीए

--निर्णय--

दिनांक : 06/12/19

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादिया के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 1 एस के मु.न. 45 के 25 बीघा बारानी भूमि दलीप सिंह, धन्नो, जीत सिंह उर्फ जगजीत सिंह को 1/2 हिस्सा एवं कर्मचन्द को 1/2 हिस्सा साझी 25 बीघा भूमि आवंटन हुई थी। धन्नो की मृत्यू के पश्चात उसके हिस्सा की भूमि दलीप सिह , जीत सिंह को निस्फ-निस्फ हिस्सा आ गयी। दलीप सिंह, जीत सिंह दोनो 12 बीघा 10 बिस्वा में 6 बीघा 5 बिस्वा, 6 बीघा 5 बिस्वा के अलग-अलग मालिक हो गये। दलीप सिंह की मृत्यू के पश्चात तमाम भूमि प्रतिवादी तेज सिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गयी, तेज सिंह फौत हो गया, जिसके कोई औलाद नहीं थी तथा प्रतिवादनी संख्या 3/1,3/2 के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है। जो तेज सिंह मृतक की बहनें है। सैटलमैन्ट अफसर पुर्नवास अति. जिला कलक्टर सतर्कता श्री गंगानगर के आदेश दिनांक 05.04.2005 के अनुसार वादनी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को जीत सिंह उर्फ जगजीत सिंह का वारिस घोषित किया गया एवं भूमि का कब्जा देने के आदेश पारित किए गये। दलीप सिंह की मृत्यू के बाद प्रतिवादी तेज सिंह ने अकेले का वारिसनामा बनाकर सन्द जारी करवा ली। जिससे विवादग्रस्त भूमि 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रतिवादी मृतक तेजा सिंह के नाम दर्ज हो गयी। पुर्नवास अधिकारी के निर्णय दिनांक 05.04.2005 के अनुसार विवादित भूमि 12 बीघा 10 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा की वादनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बहिस्सा बराबर की हिस्सेदार है। जो मालिक घोषित करवाने एवं राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम भूमि दर्ज करवाने की अधिकारी है, सनद को निरस्त किया गया था। जमाबन्दी सम्वत 2067 ता 70 में विवादित भूमि प्रतिवादी मृतक तेज सिंह के नाम दर्ज है तथा कर्मचन्द की भूमि प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ने क्रय कर रखी है, उनके नाम दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में तेज सिंह के नाम मु.न.45 में किला न.

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

1,2,5,6,9,10,11,12,13/1,19,20,21,22 दर्ज है। किन्तु किला न. 15 का 10 बिस्वा भूमि मिठू सिंह आदि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होनी चाहिए थी, जो गलती से दर्ज होने से रह गयी है। जिसको वादनी दुरूस्ती करवाना चाहती है। प्रतिवादी संख्या 6 के अधीनस्थ पटवारी हलका द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में मु.न. 45 के किला न. 15 के 10 बिस्वा भूमि मृतक तेज सिंह के खाता संख्या 33/42 में दर्ज होनी चाहिए थी तथा खाता संख्या 85/74 में किला न. 13 का 10 बिस्वा भूमि दर्ज होनी चाहिए थी, जो गलती से दर्ज नहीं हुई है, जिसकी दुरूस्ती करके अलग-अलग खातेदार घोषित होने के अधिकारी है। विवादित भूमि की मौका की स्थिति अनुसार तेज सिंह का कब्जा चक 1 एस के खाता संख्या 33/42 के मु.न. 45 के किला न. 1,2,5,6,9,11,12,13 के 10 बिस्वा, 15 के 10 बिस्वा, 19,20,21 के 0.228 हैक्टर, किला न. 22 के 0.228 हैक्टर कुल 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि। मिठू सिंह , जगरूप सिंह का कब्जा चक 1 एस के खाता संख्या 85/74 के मु.न. 45 के किला न. 3,4,7,8,13/2 के 10 विस्वा, 14,15 का 10 बिस्वा, 16,17,18,23 के 0.227 हैक्टर, 24 के 0.227 हैक्टर, 25 के 0.227 हैक्टर, कुल 12 बीघा 10 बिस्वा पर है। वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 6 बीघा 5 बिस्वा तथा प्रतिवादी संख्या 3/1,3/2, 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि पाने के हकदार है। तेज सिंह, जीत सिंह उर्फ जगजीत सिंह की मृत्यू उपरान्त अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की अधिकारी है। वाद पत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर,अन्दर मियाद पेश है। वाद पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। अतः दावा निम्न प्रकार से डिक्री किया जावेः-

वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को चक 1 एस के मु.न. 45 के किला न. 1,2,5,6,9,11,12,13 का 10 बिस्वा, 15 का 10 बिस्वा, 19,20,21 के 0.228 हैक्टर, 22 के 0.228 हैक्टर, बीघा भूमि में से 6 बीघा 5 बिस्वा यानि सयुक्त रूप से मालिक किला न. 2,9,12,19,22,6,15 के 5 बिस्वा का खातेदार घोषित किया जावे। चक 1 एफ के मु.न. 45 जो निस्फ हिस्सा यदि 6 बीघा 5 बिस्वा बचता है उसका प्रतिवादीगण संख्या 3/2,3/2 को खातेदार घोषित किया जावे। जमाबन्दी सम्वत 2067 ता 70 के खाता संख्या 33/42 के किला न. 13/1 में भूमि ज्यादा दर्ज हो गई है। उसे दुरूस्त करके किला न. 13 का 10 बिस्वा का अमल दरामद किया जावे। अन्य भूमि खाता संख्या 85/74 में मु.न. 45 में मिठू सिंह आदि प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे। खाता संख्या 33/42 में किला न. 15 का 10 बिस्वा भूमि दर्ज करने से रह गई उसका अमल दरामद किया जावे। एवं अन्य कोई अनुतोष हो तो वादी को दिलाया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1,2,4,5 की ओर से सहमति का जवाबदावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 3/1 की ओर से अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 3/2 निक्की की मृत्यू के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश किया। मृतक निक्की के वारिसान गुरदीप सिंह व सोमा स्वय उपस्थित आए। आदेशिका दिनांक 19.05.2016 के अनुसार राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट मलकाना खूर्द में वादिया जसवीर कौर व प्रतिवादी संख्या 3/1 छिन्द्रकौर, गुरदीप सिंह व सोमा उपस्थित आए। जिनके द्वारा अवगत करवाया की प्रतिवादी निक्की के तीन वारिस हैं जिसके सम्बन्ध में वादी अधिवक्ता को मृतका निक्की का वारिसनामा पेश करने हेतु अवसर दिए गए। वारिसनामा पेश नहीं करने पर प्रतिवादी संख्या 3/2 मृतका निक्की के वारिसाना की हद तक दावा अबेट किया गया। प्रतिवादी संख्या 3/1 छिन्द्रकौर व उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी संख्या 3/1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वाद बिन्दू कायम किए गए जो निम्नानुसार हैः-

1. आया कि क्या वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को चक 1 एस के मु.न. 45 के किला न. 1,2,5,6,9,11,12 व 13 का 10 बिस्वा, 15 का 10 बिस्वा, 19,20 व 21 के 0.

अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

228 हैक्टर, 22 के 0.228 हैक्टर, कुल 12 बीघा 10 बिस्वा में से 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि सयुक्त रूप से खातेदार मालिक घोषित होकर किला न. 2,9,12,19,22,6 व 15 के 5 बिस्वा कुल 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम अंकन करवाने के हकदार है?

-वादिया-

2. आया कि क्या इस चक 1 एस के मु.न. 45 का आधा हिस्सा अर्थात 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि जो शेष बचती है उसका प्रतिवादी संख्या 3/1,3/2 को खातेदार घोषित करके राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे?

-वादिया-

3. अनुतोष।

साक्ष्य वादी में वादिया जसवीर कौर के ब्यान लिखे गए। जसवीर कौर के द्वारा अपनी साक्ष्य में चक 1 एस की जमाबन्दी सम्वत 2067 ता 70 के खाता संख्या 85/74 की जमाबन्दी प्रदर्श 1, एवं खाता संखा 53/42 की जमाबन्दी प्रदर्श 2, चक 1 एस की जमाबन्दी सम्वत 2059 प्रदर्श 3 , पुर्नवास अधिकारी के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 4, सैटलमेन्ट ऑफिस पुर्नवास अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 5, जिला कलक्टर एवं प्राविकृत एवं चीफ सैटलमेन्ट ऑफिसर कमिश्नर श्री गंगानगर के निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवायी।

एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादिया अधिवक्ता के द्वारा अपनी वहस में वादपत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

वाद बिन्दू अनुसार निर्णय निम्न प्रकार से है:-

1. आया कि क्या वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को चक 1 एस के मु.न. 45 के किला न. 1,2,5,6,9,11,12 व 13 का 10 बिस्वा, 15 का 10 बिस्वा, 19,20 व 21 के 0.228 हैक्टर, 22 के 0.228 हैक्टर, कुल 12 बीघा 10 बिस्वा में से 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि सयुक्त रूप से खातेदार मालिक घोषित होकर किला न. 2,9,12,19,22,6 व 15 के 5 बिस्वा कुल 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम अंकन करवाने के हकदार है?

-वादिया-

इस वाद बिन्दू को सिद्ध करने का भार वादिया पर है। वादिया के द्वारा अपनी साक्ष्य में चक 1 एस की जमाबन्दी सम्वत 2067 ता 70 के खाता संख्या 85/74 एवं खाता संख्या 53/42 की जमाबन्दी प्रदर्श करवायी। एवं जिला पुर्नवास अधिकारी श्री गंगानगर के आदेश 17.08.1993 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 4 सैटलमेन्ट ऑफिस पुर्नवास अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 5, जिला कलक्टर एवं प्राविकृत एवं चीफ सैटलमेन्ट ऑफिसर कमिश्नर श्री गंगानगर के निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवायी है। वादिया के द्वारा जमाबन्दी सम्वत 2067 ता 70 के खाता संख्या 53/42 में तेजा सिंह के नाम दर्ज 3.163 हैक्टर भूमि में खातेदार मालिक घोषित होने बाबत अनुतोष चाहा है वादिया के द्वारा अपने वादपत्र में अंकित किया है कि तेजा सिह की मृत्यू हो चुकी है परन्तु तेजा सिंह का मृत्यू प्रमाण पत्र पत्रावली में पेश नहीं किया है। यदि तेजा सिंह की मृत्यू हो चुकी है तो उसका वारिसनामा भी पत्रावली में पेश नहीं किया गया है। जिला पुर्नवास अधिकारी श्री गंगानगर के आदेश दिनांक 17.08.1993 से मृतक दलीप सिंह के आधे हिस्से की जमीन के तेजा सिंह पुत्र दलीप सिंह, निक्की पुत्री दलीप सिंह, व छिन्द्र पुत्री दलीप सिंह को वारिस घोषित किया गया है। निक्की पुत्री दलीप सिंह की मृत्यू होने पर प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश हुआ। जिसमें मृतक निक्की के दो वारिस अंकित किए गए। कैम्प कोर्ट मलकाना खूर्द में प्रतिवादीगण के द्वारा मृतक निक्की के तीन वारिस होना जाहिर किया गया जिसके सम्बन्ध में मृतक निक्की के वारिसनामा पेश करने हेतु कई अवसर दिए

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

जाने पर भी वारिसनामा पेश नहीं होने पर मृतक निक्की की हद तक दावा अवेट किया गया। मृतक निक्की के वारिसान को सुना जाना आवश्यक था। वादिया इस वाद बिन्दू को सिद्ध करने में असफल रही है। इस वाद बिन्दू का निर्णय वादिया के विरूद्ध किया जाता है।

2. आया कि क्या इस चक 1 एस के मु.न. 45 का आधा हिस्सा अर्थात 6 वीघा 5 बिस्वा भूमि जो शेष बचती है। उसका प्रतिवादी संख्या 3/1, 3/2 को खातेदार घोषित करके राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे?

-वादिया-

इस वाद बिन्दू को सिद्ध करने का भार वादिया पर है। वादिया का वादपत्र प्रतिवादी संख्या 3/2 की हद तक अबेट हो चुका है । एवं 3/1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही है। प्रतिवादी संख्या 3/1 व 3/2 के द्वारा इस भूमि का खातेदार घोषित होने बावत कोई चाराजोही नहीं की गई है। इस सम्बन्ध में वाद बिन्दू संख्या 1 में विस्तृत लिखा गया है। वादिया इस वाद बिन्दू को सिद्ध करने में असफल रही है। इस वाद बिन्दू का निर्णय वादिया के विरूद्ध किया जाता है।

3. अनुतोष।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन एंव पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर वादिया का वादपत्र स्वीकार योग्य नही होने पर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री इस आश्य का जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 6/12/19... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

{मूलचन्द लूणिया आर.ए.एस.}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर श्रीगंगानगर

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

# अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")
ब अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर
ब इजलास मूलचन्द लूणिया, आर.ए.एस.

जसवीर कौर बनाम विन्द्र आदि
दावा 88,91 आर.टी.ए मुकदमा नं0 05/2012
निर्णय दिनांक :- 06.12.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री गंगाराम प्रसाद शर्मा एवं प्रतिवादी अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह** पेश होकर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

वादिया का वादपत्र स्वीकार योग्य नहीं होने पर खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 06.12.2019 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

मुहर

(मूलचन्द लूणिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

| मुददई | रूपया | पैसा | मुदायली | रूपया | पैसा |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अरजीदावा | 02 | 00 | स्टाम्प वकालतनामा | 02 | 00 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 02 | 00 | स्टाम्प अरजी | 02 | -- |
| स्टाम्प ड्यूटी | | 00 | मेहनताना वकली पर | 0 | -- |
| योग | 04 | 00 | योग | 04 | 00 |

मुहर

(मूलचन्द लूणिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2019.12.23 15:18:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: